XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1434-दो/02 जिला – गुन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग. 822--पोबीआर/02 में पारित आदेश दिनांक 26-4-02 के विरूद्ध म0प्र0 भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उपरोक्त आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ﴾म.प्र.﴿ ग्वालियर﴾म.प्र.﴿

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक- /2002

गजराजसिंह पुत्र भुजपाल सिंह
निवासी ग्राम बूढ़ाखेड़ा तेहसील
आरोन जिला गुना ﴾म.प्र.﴿

-- -- आवेदक

वि.

﴾1﴿ भगवतीबाई बेबा पत्नि पुरूषोत्तम भार्गव

﴾2﴿ रामनिवास पुत्र पुरूषोत्तम भार्गव

﴾3﴿ सावित्रीबाई उर्फ पतरोबाई पत्नि जगदीश निवासी ग्राम गरेठा तेहसील अशोकनगर जिला गुना ﴾म.प्र.﴿

-- -- अनावेदकगण

20 JUN 2002

20-6-02